संख्या-84/2016/1034/22-2-2015-17(204)/2015

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध बन्दी मिश्रा उर्फ मिश्रीलाल पुत्र श्री शिवचरन, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46822/पर-3(एम-28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मिश्रा उर्फ मिश्रीलाल पुत्र श्री शिवचरन, ग्राम-मेहरबानखेडा मजरा मैथीटीकुर, थाना-माखी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। पूर्व में हुई हत्याओं को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11-02-2001 को रात्रि लगभग 08-00 से 09-00 बजे के मध्य बंदूक, कट्टे एवं कुल्हाड़ी से हमलाकर 04 व्यक्तियों की हत्या की व 01 को घायल किया तथा लूटपाट की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-228/01 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 302, 307, 452, 404 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज ई0सी0 एक्ट, उन्नाव द्वारा दिनांक 18-12-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2015 तक 14 वर्ष 07 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 02 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आाता है, बल्कि समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने पूर्व में हुई हत्याओं को लेकर चल रही रंजिश के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कारण बन्दी ने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11-02-2001 को रात्रि लगभग 08-00 से 09-00 बजे के मध्य बंदूक, कट्टे एवं कुल्हाड़ी से हमलाकर 04 व्यक्तियों की हत्या की व 01 को घायल किया तथा लूटपाट की। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मिश्रा उर्फ मिश्रीलाल पुत्र श्री शिवचरन, निवासी जनपद-उन्नाव को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मिश्रा उर्फ मिश्रीलाल (बन्दी संख्या-18355) पुत्र श्री शिवचरन, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-84/2016/1034(1)/22-2-2015 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-उन्नाव ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-84/2016/1034/22-2-2015-17(204)/2015
दिनांक 11 जुलाई, 2016 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध बन्दी मिश्रा उर्फ मिश्रीलाल (बन्दी संख्या-18355) पुत्र श्री शिवचरन] ग्राम-मेहरबानखेडा मजरा मैथीटीकुर, थाना-माखी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। पूर्व में हुई हत्याओं को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11-02-2001 को रात्रि लगभग 08-00 से 09-00 बजे के मध्य बंदूक, कट्टे एवं कुल्हाड़ी से हमलाकर 04 व्यक्तियों की हत्या की व 01 को घायल किया तथा लूटपाट की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-228/01 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 302, 307, 452, 404 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज ई0सी0 एक्ट, उन्नाव द्वारा दिनांक 18-12-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2015 तक 14 वर्ष 07 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 02 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आाता है, बल्कि समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा बन्दी को कारागार में आगे निरूद्व रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने पूर्व में हुई हत्याओं को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 11-02-2001 को रात्रि लगभग 08-00 से 09-00 बजे के मध्य बंदूक, कट्टे एवं कुल्हाड़ी से हमलाकर 04 व्यक्तियों की हत्या की व 01 को घायल किया तथा लूटपाट की। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी मिश्रा उर्फ मिश्रीलाल पुत्र श्री शिवचरन, निवासी जनपद-उन्नाव को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।